

न्यायालय, मुख्य नियंत्रक, राजस्व प्राधिकारी/राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

निगरानी संख्या-16/2016-17

अन्तर्गत धारा- 56 स्टाम्प एक्ट अधिनियम

श्रीमती सुशीला देवी, सेन्टर फॉर प्रोफेशनल स्टडीज एण्ड रिसर्च, प्रेमनगर देहरादून द्वारा
सचिव श्री राजीव शर्मा पुत्र श्री सी0पी0 शर्मा, निवासी-98/13, प्रगति विहार, देहरादून।

बनाम

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा कलेक्टर, हरिद्वार।

उपस्थित : श्री पी0एस0जंगपांगी, सदस्य(न्यायिक)।
अधिवक्ता निगरानीकत्री : श्री अरुण सक्सेना।
अधिवक्ता उत्तरदाता : श्री विनोद कुमार डिमरी, जि0शा0अधि0 (राजस्व)।

निर्णय

यह निगरानी कलेक्टर स्टाम्प/अपर कलेक्टर (वित्त एवं राजस्व) देहरादून द्वारा
स्टाम्प वाद संख्या-258/2010-11 सरकार बनाम सुशीला देवी में पारित आदेश दिनांक
24-03-2017 के विरुद्ध प्रमुखतः इन आधारों पर प्रस्तुत की गई है कि निगरानीकत्री ने
विक्रय पत्र दिनांक 28-05-2010 से भूमि खसरा नं0-17/2 क्षेत्रफल 7250 वर्गमीटर में से
विक्रेतागण का 3/7 भाग अर्थात् 3107.14 वर्गमीटर स्थित ग्राम आरकेडियाग्रान्ट पूर्व
भू-स्वामियों से क्रय की, कि क्रेता द्वारा तत्कालीन सर्किल रेट जो कि विक्रय पत्र के सम्पादन
के दिन प्रभावी थे के अनुसार स्टाम्प शुल्क अदा किया गया तथा विक्रय पत्र विलेख विधिवत
पंजीकरण के उपरान्त निगरानीकत्री को उप निबन्धक, देहरादून से प्राप्त हुआ, कि दिनांक
17-05-2017 को जब तहसीलकर्मी स्टाम्प शुल्क की वसूली हेतु घर पर आया तब जाकर
कमी स्टाम्प शुल्क की जानकारी हुई क्योंकि इससे पूर्व निगरानीकत्री को कोई नोटिस कमी
स्टाम्प शुल्क के सम्बन्ध में नहीं प्राप्त हुआ है एवं कि बगैर नोटिस, आपत्ति व सुनवाई के
अवसर दिये अवर न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 24-03-2017 एकपक्षीय रूप से पारित किया
गया है।

मैंने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्क सुने एवं उपलब्ध अभिलेखों का
भली भांति अवलोकन किया।

अवर न्यायालय की पत्रावली में ऐसा कोई साक्ष्य/अभिलेख उपलब्ध नहीं है
जिससे यह स्पष्ट हो कि आक्षेपित आदेश पारित करने से पूर्व निगरानीकत्री पर विधिवत


5

नोटिस तामील हुआ हो। यद्यपि अवर न्यायालय की पत्रावली में कागज संख्या-4/1 जो कि कथित भेजे गये नोटिस की प्रति है परन्तु उसकी तामीली का कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है न ही यह नोटिस अदम तामील वापस प्राप्त पत्रावली पर उपलब्ध है। फलस्वरूप विधिवत नोटिस तामील किये बिना एकपक्षीय रूप से पारित आदेश विधि की दृष्टि में कोई आदेश नहीं है। नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त कि "प्रभावित होने वाले ब्यक्ति को सुनो audi alteram partem" के दृष्टिगत निगरानीकर्त्री को सुने बिना कमी स्टाम्प शुल्क एवं अर्थदण्ड आरोपित अविधिक है। फलस्वरूप निगरानी स्वीकारणीय है तथा आक्षेपित आदेश अपास्त होने तथा प्रकरण विद्वान कलेक्टर, स्टाम्प/अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) को प्रति प्रेषण योग्य है। विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, राजस्व का भी इस सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तर्क नहीं है।

आदेश

निगरानी स्वीकार कर आक्षेपित आदेश दिनांक 24-03-2017 अपास्त करते हुए प्रकरण विद्वान स्टाम्प कलेक्टर/अपर कलेक्टर (वित्त एवं राजस्व) को इस आशय से प्रति प्रेषित किया जाता है कि वे निगरानीकर्त्री को विधिवत सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान कर ही प्रकरण में गुण दोष के आधार पर विधिसम्मत आदेश पारित करें। निगरानीकर्त्री दिनांक 11-12-2017 को अवर न्यायालय में उपस्थित हों जहां वह प्रथम अवसर पर ही अपनी आपत्ति प्रस्तुत करेंगी। अवर न्यायालय की पत्रावली वापस तथा इस न्यायालय की पत्रावली संचित हो।

दिनांक - 14-11-2017


(पी0एस0जंगपांगी)
सदस्य(न्यायिक)/मुख्य नियंत्रक,
राजस्व प्राधिकारी।